

**फर्द अहकाम**

लालीदेवी

बनाम गौपाल

(2024/89)

न्यायालय

संख्या

दिनांक

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. मूलवाद के साथ पत्रावली दिनांक 15.4.24 को पेश हो।	
15/4/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. का दौरा कार्य में त्वरित रहने के कारण कार्य नहीं जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/4/24 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर
21/4/24	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप। पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 28/4/24 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर
28/4/24	पत्रावली पेश। उभयपक्षों की पक्षों में पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 28/4/24 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर
30/4/24	पत्रावली पेश। उभयपक्षों की पक्षों में पत्रावली मूलवाद के निरस्त हो जाने से इसको आगे बढ़ाये जाने का कोई कार्य नहीं है। अतः श.पत्र त.द. खासिग दिया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।	उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर